(5)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची

पत्रांक– 153(वि वन्य)08-09/366 रांची, दिनांक– 21/5/09

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखंड, रांची।

2715

विषय– **मै0 जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 के जेरालदाबुरू (गुआ, जिला– पं0 सिंहभूम) लौह अयस्क खनन प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग– **मै0 जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 का पत्र, दिनांक 29.04.2009**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 ने भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र संख्या J-11015/1208/2007-1A.II (M), दिनांक 25.06.2008 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में अनुरोध किया है कि उनके खनन लीज एरिया के 10 कि0मी0 की दूरी के अंदर यदि कोई नेशनल पार्क, आश्रयणी, गज आरक्ष, हाथी कोरिडोर अथवा इको सेंसिटिव क्षेत्र हो तब उसे नक्शे पर दिखाते हुए भारत सरकार को अवगत कराया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा लीज एरिया दिखाते हुए 1: 50000 टोपोशीट नक्शा समर्पित किया गया है, जिसकी समीक्षोपरांत अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत् है :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित खनन लीज क्षेत्र सिंहभूम गज–आरक्ष्य के कोर एरिया में अवस्थित है।

2. खनन लीज क्षेत्र की 10 कि0मी0 परिधि के अंतर्गत कोई नेशनल पार्क अथवा वन्य–प्राणी आश्रयणी अवस्थित नहीं है।

3. नक्शे पर एक गज–कोरिडोर को दर्शाया गया है, जिसका नाम अंकुआ–अंबिया कोरिडोर हैं। झारखंड राज्य में गज–कोरीडोर को चिन्हित करने का कार्य एक स्वयंसेवी संस्था "वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली" के द्वारा किया गया है। इस कार्य में झारखंड वन विभाग के द्वारा भी सहयोग किया गया था। उपरोक्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रकाशित 'Right of Passage- Elephant Corridors of India' नामक पुस्तक में झारखंड राज्य के कुल 14 गज–कॉरीडोर वर्णित हैं तथा इसी सूचना के आधार पर संलग्न नक्शे पर उपरोक्त गज–कोरिडोर को दर्शाया गया है। विदित हो कि वन विभाग के द्वारा स्वतंत्र रूप से हाथी–कोरिडोर की पहचान कर चिन्हित करने का कार्य नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त जानकारी के अनुसार आवेदित खनन क्षेत्र के निकट अन्य कोई हाथी–कोरिडोर अवस्थित नहीं है। उपरोक्त कोरिडोर विषयक खनन लीज क्षेत्र की सीमा से 10 कि0मी0 की अधिक दूरी पर अवस्थित हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची
आवती सं. 1008
दिनांक 27.5.09

D:\NIRAJ\Pcrf Lett 2009\Pcrf ...

5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शे पर वांछित सूचना अंकित कर दो प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि इस सूचना से भारत सरकार को अवगत कराने की कृपा की जाए।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या–3 (VIII) के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन्य जीव विशेषज्ञ श्री पी0 के0 सेन के द्वारा बनायी गयी वन्य जीव प्रबंधन योजना समर्पित की गई है, जिसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

7. क्योंकि आवेदक को अभी भारत सरकार से खनन कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। अतः अभी वन्य प्राणी प्रबंधन योजना के संबंध में कोई मंतव्य दिया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

<u>अनुलग्नक : यथोक्त</u>

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखंड, रांची

D:\NIRAJ\Prof Lett 2009\Prof (wl)\Prof_ED.doc